दिनांक 19.12.2018

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

भिलाईनगर/ निगम क्षेत्र में चल रहे विकास कार्य एवं जिलाधीश समय सीमा के आवेदनों का समीक्षा आयुक्त एस0के0 सुंदरानी ने करते हुए कहा कि जिन कार्यों के समय निर्धारित किये गये हैं उसे निर्धारित समय में पुरा करें। निगम से बिना अनुमति लिए अवैध रुप से लगाये गये मोबाईल टावर को नोटिस जारी कर सील करने की कार्यवाही करें। जिन खटालों को पूर्व में नोटिस जारी किया गया है उनके विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही करें।

आयुक्त श्री सुंदरानी ने सभी जोन आयुक्त एवं विभाग प्रमुखों की बैठक लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय, जिलाधीश से प्राप्त समय सीमा के पत्रों का समीक्षा करते हुए कहा कि जो कार्य का समय निर्धारित किया गया है उसे मियाद में ही पुरा करें। उन्होने भवन अधिकारी से कहा कि निगम क्षेत्र में बिना अनुमति के लगाये गये मोबाईल टावर के विरुद्ध जारी नोटिस की मियाद समाप्त होने पर उसे तत्काल सील बंद की कार्यवाही करें। आयुक्त ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त किया कि विभाग की फाईलें ठेकेदार के माध्यम से मेरे समक्ष प्रस्तुत की जा रही है, जो नियमों के विरुद्ध है। भविष्य में इस तरह की कार्य की पुनरावृत्ति होने पर संबंधित विभाग प्रमुख के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। अवैध भैंस खटाल को हटाने संबंधी जिलाधीश को प्राप्त पत्र के संबंध में उन्होने कहा कि ऐसे खटाल जिन्हे स्वच्छ भारत मिशन के तहत् गंदगी फैलाने की नोटिस जारी की गई है उनके विरुद्ध जांचकर अवैध पाये जाने पर उन्हे हटाने की भी कार्यवाही करें। श्री सुंदरानी ने सभी विभाग प्रमुखो से कहा कि आप प्रतिदिन कार्यालय में उपस्थित रहकर कार्यालयीन कार्य का संपादन करें और जन समस्याओं का निराकरण करें।

बैठक में अधीक्षण अभियंता आर0के0 साहू, जोन आयुक्त संजय शर्मा, डी0के0 वर्मा, संजय बागड़े, एस0पी0 साहू, सुनील जैन, स्वास्थ्य अधिकारी आई0एल0 यादव, राजस्व अधिकारी एच0के0 चन्द्राकर, योजना अधिकारी मूर्ति शर्मा, भवन अधिकारी तपन अग्रवाल, शिक्षा अधिकारी वाय0 राजेन्द्र राव, लेखाधिकारी जितेन्द्र ठाकुर, असंगठित कर्मकार के प्रभारी अधिकारी शरद दुबे, उप अभियंता अरविन्द्र शर्मा, जनसूचना अधिकारी प्रशांत शुक्ला, स्टेनो पुरुषोत्तम, राज सच्चर, आदि उपस्थित थे।

जनसम्पर्क अधिकारी